न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :– 297/2023 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/322)
रामसहाय पुत्र भोज्या जाति मीना निवासी ग्राम रामडी तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

..............रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति० जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर मु०नं० 39/2018 निर्णय दिनांक 20.8.2018 (75 एल आर एक्ट) व नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर निर्णय दिनांक 21.09.2015 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः–

श्री श्यामसुन्दर वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 20.08.2018 व नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर के निर्णय दिनांक 21.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर ने आदेश दिनांक 21.09.2015 से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 0.20 ऐयर किस्म गै०मु० तलाई वाकै ग्राम रामडी से वेदखल कर शास्ती आरोपित कर आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है साथ ही अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के आधार पर एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से भी दण्डित किया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील तहत अदालत अति० जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में पेश की गई। अति० जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2018 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर का निर्णय 21.09.2015 यथावत रखा गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया है और न ही सुनवाई व साक्ष्य–सबूत पेश करने का कोई अवसर दिया गया। अपीलान्ट को अपूर्ण एवं विधिक रूप से जारी अपर्याप्त नोटिस की विधिवत तामील ना होते हुये भी अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कतई अवैध व न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार होने के संबंध में भी कोई रिकार्ड या साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। इसके बाबजूद अपीलान्ट को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा से नियम विरूद्ध दण्डित किया है। अपीलान्ट की ओर से अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में भी उपरोक्त तथ्यों को उल्लेखित किया था, परन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर ने उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं कर अपीलान्ट की अपील नियम विरूद्ध खारिज की है। अतः दोनों तहत अदालतों के अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि ग्राम रामडी में स्थित खसरा नम्बर 316 किस्म गैर मुमकिन तलाई के 0.20 ऐयर भाग पर अपीलान्ट के द्वारा सम्वत 2072 में या इसके पूर्व कभी भी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में ही इस भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण है तथा भविष्य में भी अपीलान्ट उक्त भूमि पर कभी अतिक्रमण नहीं करेगा। अपीलान्ट के विरूद्ध सम्वत 2072 में उक्त भूमि पर तिल की बुबाई कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बिल्कुल मिथ्या पेश की है। जिसमें कोई सत्यता नहीं है। अपीलान्ट के उक्त तथ्यों पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी अपीलधीन निर्णय पारित करने से पूर्व गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ने भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपना निर्णय पारित किया है। इस संबंध में मौके पर कोई जांच नहीं की गई और ना ही पटवारी हल्का व आसपास के स्वतन्त्र गवाहान के सशपथ बयान ही लिये गये तथा अपीलान्ट को जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अति0 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय में नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर के आदेश को उचित मानने में कूननी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिकमी होना मानकर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। जबकि उक्त भूमि पर सम्वत 2072 में अथवा उससे पूर्व कभी

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भी अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट को इस भूमि से पूर्व में अतिक्रमी मानते हुये मौके पर कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। अपीलान्ट को पूर्व में मौके से बेदखल किये जाने एवं अपीलान्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण किया जाना पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से साबित नहीं है। इसके वावजूद अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानकर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ने अहम भूल की है एवं अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये परीक्षण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ने निर्णय पारित करने से पूर्व उपनिवेशन अधिनियम अथवा राज0 लैण्ड रैवेन्यु एक्ट में वर्णित नियमों की कोई पालना नहीं की है। इसलिए हर दो तहत अदालतों के आदेश खिलाफ कानून व मौके व रिकार्ड के विपरीत होने से काबिले मंसूखी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से ग्राम रामडी के खसरा नंबर 316 रकबा 0.76 है0 के 0.20 है0 पर तिल की फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने व पश्चातवर्ती अतिचारी होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश किये जाने पर नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा अपीलान्टस को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 व उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत विधिवत नोटिस जारी कर दिनांक 21.09.2015 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने की अपेक्षा की थी। उक्त नोटिस की अपीलान्ट को होने के बांबजूद भी नियत सुनवाई तिथि को अपीलान्ट के अनुपस्थित होने के कारण नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का के पूर्व मुद्रित बयान के फार्म में खाली स्थानों की पूर्ति करते हुए बयान लिये गये। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख किया है। उक्त बयानों में पश्चातवर्ती अतिचारी होने का कोई उल्लेख नहीं है और न ही पूर्व में अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में की गई कार्यवाही, निर्णय की प्रति व बेदखल किये जाने की रिपोर्ट ही संलग्न है। नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर ने दिनांक 21.09.2015 को पूर्व मुद्रित निर्णय में खाली स्थान की पूर्ति कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय की प्रथम अपील अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में पेश किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.08.2018 को पारित किया है। जिसमें उल्लेख किया है कि अपीलान्ट को विवादित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विधिवत नोटिस जारी किया है। जिसकी पालना में अपीलान्ट संख्या 1 नियत पेशी पर अदालत में भी उपस्थित हुआ है। पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में यह माना है कि अदालत मातहत में पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न है। जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने अभिशंषा की है तथा पटवारी हल्का के बयान भी लिए गए हैं। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा गैर मुमकिन तलाई की भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त करने का उल्लेख किया है। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने यह भी उल्लेख किया है कि अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया हो। इस आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की गई है। नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2015 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा दिये जाने को यथावत रखे जाने के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 को उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि न तो नायब तहसीलदार मलारना डूंगर की पत्रावली व न ही अतिरिक्त जिला कलक्टर की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में इस तरह का कोई दस्तावेज संलग्न है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार किया गया है। जहां तक पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का प्रश्न है तो उक्त रिपोर्ट में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी होने का उल्लेख किया है, परन्तु कौन से सम्वत् में पश्चातवर्ती अतिचार किया गया। इसका कोई उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है। इसी प्रकार पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर के न्यायालय में दिये गये बयान जो कि पूर्व मुद्रित प्रारूप में है, में भी यह उल्लेख नहीं है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व के किस वर्ष में विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया था एवं इस अतिक्रमण के फलस्वरूप अपीलान्ट को कब भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। पत्रावली में भी इस तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज संलग्न नहीं है। यद्यपि यह सही है कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई है। जिसमें किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण किया जाना उचित नहीं है, परन्तु सिविल कारावास की सजा के संबंध में विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार साबित होना आवश्यक है, जिसका कि उपरोक्त प्रकरण में अभाव है। दूसरी ओर वक़ील अपीलान्ट की ओर से भी वक्त बहस यह उल्लेख किया गया कि अपीलान्ट का न तो पूर्व में विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण था और न ही वर्तमान में है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार मलारना डूंगर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 में विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व लगान की 50 गुना शास्ती आरोपीत किये जाने के दण्ड में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। विवादित भूमि जिस पर अपीलान्ट के विरूद्ध अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की गई है कि किस्म गैर मुमकिन तलाई है, जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में है। इस तरह की भूमि पर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिक्रमण किये जाने को बढ़ावा दिया जाना उचित नहीं है, परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2015 में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी होना मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है, लेकिन पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में कोई रिकार्ड या दस्तावेज अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में संलग्न नहीं है। इसलिए अपीलान्ट को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर दिये गये 1 माह के सिविल कारावास की सजा को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 में विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व शास्ती ओरापित किये जाने के दण्ड को यथावत रखते हुए पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने को निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त करें। यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अभी भी अतिक्रमण है तो पटवारी हल्का के विस्तृत बयान लेने, पूर्व में अतिक्रमण किये जाने पर की गई कार्यवाही/निर्णय की प्रति व भौतिक रूप से बेदखल किये जाने की रिपोर्ट आदि प्राप्त कर अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद सिविल कारावास के संबंध में पुनः नये सिरे से पूर्व मुद्रित निर्णय के प्रारूप की बजाय स्पष्ट व स्पीकिंग टंकित/हस्तलिखित निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर